60

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 6 मई, 1994 (वैशाख 16, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची मे सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामजी महाजन, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन (भाग 1 व 2) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना वर्ष 1994 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, बीज विकास निगम द्वारा घटिया बीज एवं कीटनाशक का प्रदाय करने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सदस्य, रीवा के आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर मकानों के हो रहे अवैध निर्माण की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गोपाल भार्गव, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर के जिला न्यायालय परिसर में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री चन्द्र प्रकाश बाजपेयी, सदस्य, म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ में अनियमितता के दोषी अधिकारी पर कार्यवाही न हो पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे

(5) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, छत्तीसगढ क्षेत्र में गुड़ाखू की अवैध बिक्री होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य, इन्दौर शहर में पाइप लाइन के बार-बार फूटने से पेयजल व्यवस्था में हो रहे व्यवधान की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री करण सिंह वर्मा, श्री ईश्वरदास रोहाणी, श्रीमती जयश्री बेनर्जी, सदस्य, सागर जिले के बीला बाँध से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी देने में अनियमितताएं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, श्री ईश्वर दास रोहाणी, श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम अतरैला में एक महिला के साथ पुलिस कर्मियो द्वारा बलात्कार करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डॉ. दाल सिंह बिसेन, श्री बच्चन नायक, श्री मनोहर लाल राठौर, सदस्य, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताएं किये जाने की ओर आदिमजाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम इकारा में एक व्यक्ति की हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, सरगुजा जिले के वाड्रफनगर तहसील कार्यालय से दो बंदूकों की चोरी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, राम लखन शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर के शेखर नगर में हैजे से अनेक लोगों की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, दुर्ग जिले के बेमेतरा शासकीय चिकित्सालय में नसबन्दी आपरेशन के दौरान एक महिला की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(14) श्री उदय मुदलियार, सदस्य, राजनांदगांव की शिवनाथ नदी पर एक उद्योगपति द्वारा बांध का निर्माण कर अवैध पानी की बिक्री करने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री थावरचंद गेहलोत, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा स्थित फातिमा कान्वेन्ट स्कूल के खेल मैदान में अवैध रूप से चर्च का निर्माण करने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री करण सिंह वर्मा, रविन्द्र चौबे, सदस्य, सीहोर जिला चिकित्सालय में अव्यवस्था से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री देवलाल दुग्गा, विक्रम देव उसेंडी, सदस्य, बस्तर जिले के ग्राम कठोली में वन भूमि से वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री राजाराम तोड़ेम, सदस्य, बीजापुर विधान सभा क्षेत्र के तेंदूपत्ता संग्राहकों को मजदूरी का भुगतान न हो पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा कोसा वस्त्रों की खरीदी बंद करने से बुनकरों में असंतोष होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री कैलाश कुण्डल, डॉ गोविन्द सिंह, श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ला, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम निमसाड़िया में अग्निकांड से फसलों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री ऐदल सिंह कंसाना, सदस्य, मुरैना जिले के सुमावली क्षेत्र के अनेक ग्रामों में शासकीय हैण्डपंप का खनन निजी आवासों में किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, रायपुर जिले के महानदी गोदावरी कछार के मुख्य अभियंता द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री बाबूलाल गौर, श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर स्थित एक उद्योग में आग लगने से कई श्रमिकों के घायल होने की ओर राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, बस्तर जिले के केशकाल थाने में आदिवासियों को अकारण परेशान कर अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री रामदयाल अहिरवार, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, छतरपुर एवं सीधी जिले के अनेक ग्रामों में चेचक से कई बच्चों की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री कंकर मुंजारे, रामलखन शर्मा, सदस्य, बालाघाट के जिलाध्यक्ष द्वारा जनप्रतिनिधि एवं जनहित के कार्यों की उपेक्षा किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) सर्वश्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, राज्य विपणन संघ रायसेन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी न करने के निर्देश से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) सर्वश्री मनोहरलाल राठौर, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, होशंगाबाद जिले के हरदा स्थित सिद्धार्थ सोया फैक्ट्री में विस्फोट से कई व्यक्तियों के घायल होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री बोधराम कंवर, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"झाबुआ जिले की अलीराजपुर तहसील के ग्राम कवठू में दिनांक 7 मार्च, 1994 की घटना के पीड़ितों को पुनर्वास सहायता हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य -

(क) मण्डला जिले के ग्राम इन्द्रावन में पेयजल समस्या का निदान किये जाने,
(ख) मण्डला जिले के ग्राम अतरिया एवं सुन्हेहरा में पानी की समस्या का निदान किये जाने,

(ग) मण्डला जिले के ग्राम ब्लाक टोला को वन ग्राम घोषित कर कब्जाधारियों को कब्जे की भूमि का पट्टा दिलाये जाने,
(घ) मण्डला जिले के ग्राम मजगांव के दयहान टोला में पानी की समस्या का निदान किये जाने,
(ड.) मण्डला जिले के ग्राम मंगली में माध्यमिक शाला खोलने,
(च) मण्डला जिले के ग्राम कुम्हा में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण किये जाने,
(छ) मण्डला जिले के ग्राम बम्हनी रे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने,
(ज) मण्डला जिले के ग्राम भरखी में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण किये जाने,
(झ) मण्डला जिले के ग्राम कलोडी से सेदा मार्ग में फेन नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(ञ) मण्डला जिले के ग्राम डुगरा में बांध का निर्माण किये जाने,
(ट) मण्डला जिले के ग्राम चर्राटोला में पानी की समस्या का निदान किये जाने,
(ठ) देवास जिले के कन्नोद एवं खातेगांव में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने,

(2) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य -

(क) टीकमगढ़ जिले के ग्राम बम्होरी कला के रोड का डामरीकरण किये जाने,

(3) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्रामों में शासकीय नलकूप योजना की स्वीकृति दिये जाने,

(4) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल शहर के गौतम नगर में कम्युनिटी हॉल का निर्माण किये जाने,

(5) युवराज तुकोजीराव पवार, सदस्य, देवास शहर के आगरा बाम्बे राजमार्ग पर बायपास मार्ग का निर्माण किये जाने,

(6) श्री जयकरण साकेत, सदस्य, विदिशा जिले की शासकीय भूमि अनुसूचित जाति के परिवारों को आवंटित किये जाने,

(7) श्री पारस चन्द जैन, सदस्य, उज्जैन नगर के पंचकोसी पहुंच मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य -

(क) टीकमगढ़ जिले में पालीटेक्निक कॉलेज खोले जाने,
(ख) टीकमगढ़ जिले के ग्राम बुडेरा बडागांव मार्ग पर पुल-पुलियों का निर्माण किये जाने,
(ग) टीकमगढ़ जिले के नयागांव में पेयजल समस्या का निदान किये जाने,

(9) श्री लल्लूसिंह, सदस्य -

(क) शहडोल जिले में "ए" श्रेणी का चिकित्सालय खोलने,
(ख) शहडोल जिले के ग्राम टीकरीटोला में विद्युत कनेक्शन देने,

(10) श्री धनेश पटिला, सदस्य -

(क) बालाघाट जिले के ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
(ख) राजनांदगांव जिले की जमुनिया डायवर्शन सिंचाई योजना पूर्ण कराये जाने,
(ग) राजनांदगांव जिले के ग्राम रेंगाखारकला में राजस्व निरीक्षक मंडल तथा विकास खंड मुख्यालय स्थापित करने,

(11) डॉ चेतन सिंह वर्मा, सदस्य -

(क) दुर्ग जिले के बेमेतरा नगर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने,
(ख) दुर्ग जिले के बेमेतरा नगर में स्थित महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय घोषित किये जाने,

(12) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य -

(क) जबलपुर शहर के रांझी क्षेत्र में सनातन धर्म सभा स्थित सड़क का निर्माण किये जाने,
(ख) जबलपुर शहर के गोकलपुर वार्ड की शाला भवन का निर्माण किये जाने,
(ग) जबलपुर शहर के ग्राम मानेगांव के नालों की सफाई कर रिटेनिंग वॉल का निर्माण किये जाने,
(घ) जबलपुर शहर के ग्राम मोहनिया की सड़कों का निर्माण किये जाने,
(ड.) जबलपुर शहर के ग्राम मोगाद्वार से टेमरमीटा तक सड़क का डामरीकरण किये जाने,
(च) जबलपुर जिले के ग्राम सुअरकोल में पेयजल की समस्या का निदान किये जाने,

(छ) जबलपुर जिले की रांझी बस्ती में शासकीय चिकित्सालय खोलने,
(ज) जबलपुर जिले की रांझी बस्ती में शासकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण कराने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, दिनांक 1 मार्च, 1994 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 274) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 20 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 1994 (क्रमांक 23 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री शिव नेताम, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक 1994 (क्रमांक 19 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री शिव नेताम, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक 1994 (क्रमांक 24 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

2 घण्टे — (6) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 20 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा — (7) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. — (8) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 1994 (क्रमांक 23 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. — (9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्य मंत्री परिवहन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1994 (क्रमांक 22 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा — (10) श्री शिव नेताम, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 (क्रमांक 24 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

40 मि. — (11) श्री शिव नेताम, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन), विधेयक 1994 (क्रमांक 19 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

62

8. अशासकीय विधेयक

(1) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 14 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 1994 (क्रमांक 15 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण विधेयक, 1994 (क्रमांक 16 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

40 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश की समस्त अशासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों को शासन द्वारा अधिग्रहीत कर समस्त अशासकीय शिक्षकों को कोषालय से वेतन भुगतान कराया जाय."

(2) श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. "सदन का यह मत है कि भोपाल से नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर होते हुए राजस्थान के रामगंज मंडी तक रेल लाइन बिछाने हेतु भारत शासन से अनुरोध किया जाय".

(3) युवराज तुकोजीराव पवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. " सदन का यह मत है कि इन्दौर से कोचीन एवं इन्दौर से हावड़ा आने जाने वाली रेलों का प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्टापेज बनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय".

(4) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

35 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों के चयन हेतु गुप्त मतदान प्रणाली लागू की जाय".

10. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा

(1) दिनांक 4 अप्रैल, 1994 तथा 8 मार्च, 1994 को वन मंत्री से पूछे गये क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 6765) तथा परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 866) के उत्तर से उद्भूत विषय पर सर्वश्री शिवप्रताप सिंह, मदन गोपाल सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 4 अप्रैल 1994, को वन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 134 (क्रमांक 7605) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री गोविंद प्रसाद मिश्र, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(3) दिनांक 9 अप्रैल 1994, को पंचायत मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्रमांक 5055) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री गौरी शंकर बिसेन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(4) दिनांक 9 मार्च, 1994 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 917) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(5) दिनांक 4 अप्रैल, 1994 को उप मुख्यमंत्री मंत्री (राजस्व) से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 78 (क्रमांक 7484) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(6) दिनांक 16 मार्च, 1994 को उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक 1070) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(7) दिनांक 18 मार्च, 1994 को जल संसाधन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 892) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 5 मई, 1994